राजस्व वाद संख्याः–67 / 2015
जीसीएमएस संख्या : 2018 / 00665
सुमेर सिंह बनाम रामा देवी आदि
निर्णय दिनांकः–20.6.22

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 67 / 2015

सुमेर सिंह पुत्र श्री हनुमानाराम जाति जाट उम्र 52 वर्ष निवासी शाहपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

.... वादी

बनाम

1. रामा देवी पत्नी हरि सिंह उम्र 60 वर्ष
2. मनोज कुमार पुत्र स्व0 श्री हरि सिंह उम्र 43 वर्ष
3. सत्यपाल पुत्र स्व0 श्री हरि सिंह उम्र 40 वर्ष
4. राकेश पुत्र स्व0 श्री हरि सिंह उम्र 38 वर्ष
5. शीशराम पुत्र स्व0 हनुमानाराम उम्र 57 वर्ष
6. चांदनी देवी पत्नी स्व0 औमप्रकाश

(क्रम 1 से 6) जाति जाट नि0 शाहपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0

7. संतोष पुत्री स्व0 स्व0 औमप्रकाश पत्नी सुभाष निवासी हाल आबाद भोजा का बास पो0 भगीना त0 सुरजगढ जिला झुंझुनू राज0
8. मनोहरी पुत्री स्व0 स्व0 औमप्रकाश पत्नी शेरसिंह निवासी हाल आबाद भोजा का बास पो0 भगीना त0 सुरजगढ जिला झुंझुनू राज0
9. तारा पुत्री स्व0 ओमप्रकाश पत्नी भीम सिंह नि0 हाल गहली त0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0
10. सुमन पुत्री स्व0 ओमप्रकाश पत्नी होशीयार सिंह नि0 गारीडा पो0 डिडरा कुल्हरीयां का बास त0 सूरजगढ जिला झुंझुनू राज0
11. कपिल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी शाहपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू
12. आर जी बी शाखा गाडाखेडा जरिये मैनेजर शाखा प्रबंधक
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:24:33 IST
Reason: SelfAttested

दावा स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन

निर्णय दिनांक: 20.6.22

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार पेश है :

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः–67/2015
जीसीएमएस संख्या : 2018/00665
सुमेर सिंह बनाम रामा देवी आदि
निर्णय दिनांकः– 20-6-22

1. यह कि ग्राम शाहपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थत जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं0 62 के खसरा न0 112 रकबा 1.03 है0 ख0 न0 128 रकबा 2.38 है0 ख0 न0 220 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 रकबा 4.21 है0 में वादी का हिस्सा 1/4 प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 का हिस्सा 1/4 प्रति0 सं0 5 का हिस्सा 1/4 प्रति0 सं0 6 ल0 11 का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। जिस पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 11 बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त है।
2. यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ल0 11 स्व0 हनुमानाराम की मृत्यु के समय से ही बाहमी बंटवारे के अनुसार उक्त भूमि पर अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। ख0 न0 128 रकबा 2.38 है0 के 3 हिस्से बनाकर पूर्वी दिशा में 1/3 भाग में प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 व उनके मध्य में वादी स्वंय व पश्चिम की ओर प्रति0 सं0 5 शीशराम काबिज काश्त है। ख0 न0 112 पर चार हिस्से बराबर–बराबर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 11 काबिज काश्त है। तथा ख0 न0 220 पर प्रतिवादी सं0 6 से 11 तक काबिज काश्त है।
3. यह कि गत माह मे प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 ने ख0 न0 128 मे वादी के कब्जेशुदा 1/3 हिस्से मे काश्त मे अवरोध पैदा करते है। और सींव आदि तोडकर वादी को हैरान परेशान करते है। वादी नोकरी के सिलसिले से अक्सर गॉव के बाहर रहता है। इस कारण प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 निरंकुश हो गये है और आये दिन वादी के कब्जेशुदा खेत के हिस्से मे दखल देते रहते हैं। इसलिये वादी को यह अधिकार है कि वह उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पेश करें व वादी को अधिकार है कि वो अपने हिस्से की भूमि की प्रतिरक्षा करे।
4. यह कि वादी ने इस बात से परेशान होकर प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करने के लिये कहा तो हॉ करते रहे व गत 15 दिवस पूर्व खाता विभाजन से इंकार हो गये इसलिये वादी को यह दावा खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ।
5. यह कि आधार विवाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण से खाता विभाजन के लिये कहने व प्रतिवादीगण द्वारा 15 दिवस पूर्व इंकार करने से पैदा हुआ है जो दावा अन्दर मियाद है।
6. यह कि रिहायस पक्षकारान व वाद वर्णित भूमि ग्राम शाहपुर त0 बुहाना में स्थित होने के कारण उक्त वाद को सुनने का अधिकार न्यायालय श्रीमान जी को है।
7. यह कि दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 2 रुपये कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वादी की ओर से वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(अ) कि ग्राम शाहपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू [illegible] स्थित भूमि हॉल जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं0 62 के ख0 न0 112 रकबा [illegible] है0 ख0 न0 128 रकबा 2.38 है0 ख0 न0 220 रकबा 0.80 है0 किता 3 रकबा 4.[illegible] है0 मे वादी के 1/4 भाग का खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:24:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुन्झुनूं (राज.)
सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अलग से विभाजन कर अलहेदा लगान कायम किये जाने की कृपा करें व इसी अनुसार वादी को कब्जा दिलवाया जाने की कृपा करें।

(ब) कि प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कि या जावे की वादी के 1/4 भाग मे बाहमी बंटवारे से आई भूमि कब्जे काश्त दिलवाया जावे।

काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 5

1. यह कि ग्राम शाहपुर त0 बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं0 62 के ख0 न0 112 रकबा 1.03 है0 व ख0 न0 128 रकबा 2.38 है0 व ख0 नं0 220 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.21 है0 मे प्रतिवादी सं. 5 का 1/4 भाग दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रतिवादी सं0 5 शांतिपूर्वक काबिज काश्त है।
2. यह कि काउन्टर क्लेम के खण्ड सं01 मे वर्णित भूमि वादी अन्य प्रतिवादी सं0 1 ल0 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका खाता विभाजन नहीं हुआ है। खाता सामलाती रहने से प्रतिवादी सं0 5 का अपने हिस्से की भूमि का विकास करने व लोन लेने मे काफी परेशानी आ रही है। इसलिये प्रतिवादी सं0 5 अपना खाता उपरोक्त भूमि में अपने हिस्से का अलग से करवाना चाहता है। जिसको खाता विभाजन करने का विंधिक अधिकार है।
3. यह कि आधार काउन्टर क्लेम वादी द्वारा वाद पत्र पेश करने से हुआ है। जो सावधि है।
4. यह कि काउन्टर क्लेम 1 रुपये कार्ट फीस पर पेश है।
5. यह कि रिहायश पक्षकारान व वादवर्णित भूमि ग्राम शाहपुर त0 बुहाना में स्थित है। जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमानजी को है।

अतः काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि ग्राम शाहपुर त0 बुहाना स्थित भूमि हाल जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं0 62 के ख0 न0 112 रकबा 1.03 है0 व ख0 न0 128 रकबा 2.38 है0 व ख0 न0 220 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.21 है0 में प्रतिवादी सं0 5 के 1/4 भाग का खाता अलहेदा कायम किया जाकर लगान भी अलग से कायम किये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामील की गई।

वादी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71, नकल नक्शा ट्रेंस पेश किए गए।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस मनन किया गया। दावा, खाता एवं लगान विभाजन हेतु दिनांक 05.06.2017 को प्राथमिक डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:24:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या:–67/2015
जीसीएमएस संख्या : 2018/00665
सुमेर सिंह बनाम रामा देवी आदि
निर्णय दिनांक:– 20.6.22

किया गया। तहसीलदार बुहाना को कुरेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुरेजात रिपॉर्ट दिनांक 04.05.2022 को प्राप्त हुई ।

कुरेजात रिपोर्ट पारस्परिक सहमति से आई है। जिस पर पक्षकारान के भी हस्ताक्षर है। वकुलाय पक्षकारान ने मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट खाता विभाजन किये जाने बाबत वाद वादी डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद में वाके ग्राम शाहपुर त0 बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं0 62 के ख0 न0 112 रकबा 1.03 है0 व ख0 न0 128 रकबा 2.38 है0 व ख0 न0 220 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.21 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद–वर्णित भूमि का मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव ''प्रदर्श अ'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभांजन प्रस्ताव ''अ'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल–तरमीम करने हेतु लिखा जावे। यथा आवश्यक सीमा–ज्ञान, पत्थरगढी कराई जावे। दोनो पक्षों को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि एक दुसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 20.6.22 को मेरे द्वारा लिखा जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय से मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:24:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या:–67 / 2015
जीसीएमएस संख्या : 2018 / 00665
सुमेर सिंह बनाम रामा देवी आदि
निर्णय दिनांक:– 20-6-22

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –: सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 67 / 2015
निर्णय दिनांक :– 20-6-22

सुमेर सिंह **बनाम** रामा देवी आदि
दावा बाबत– खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री सत्यवीर गजराज एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में आज तारीख 20-6-22 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद में वाके ग्राम शाहपुर त0 बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं0 62 के ख0 न0 112 रकबा 1.03 है0 व ख0 न0 128 रकबा 2.38 है0 व ख0 न0 220 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.21 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद–वर्णित भूमि का मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल–तरमीम करने हेतु लिखा जावे। यथा आवश्यक सीमा–ज्ञान, पत्थरगढी कराई जावे। दोनो पक्षों को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि एक दुसरे को मिलने वाले खसरे / रकबे / कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप मे, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न. / रकबे / हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20-6-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:24:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)